संoसंo– 5 बजट (1) 28/2022 /07 SP(वि०)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा :– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

राँची/दिनांक 13.10.6.123

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य योजनान्तर्गत फीड बेस्ड फिशरीज योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल मो0 729.982 लाख (सात करोड़ उनतीस लाख अन्ठानवे हजार दो सौ) रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना "फीड बेस्ड फिशरीज" के तहत् वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन अंतर्गत बजटीय उपबंध मो0 780.00 लाख रु0 मात्र के विरुद्ध मो0 729.982 लाख (सात करोड़ उनतीस लाख अन्ठानवे हजार दो सौ) रुपये के व्यय पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. "फीड बेस्ड फिशरीज" एक चालू प्रकृति की योजना है, जिसके अंतर्गत स्वीकृत राशि से मछली उत्पादन में बढ़ोत्तरी (फीड बेस्ड फिशरीज) के लिए मत्स्य कृषकों को अतिरिक्त मछली के उत्पादन हेतु अनुदान पर फ्लोटिंग फीड उपलब्ध कराने के साथ ही राँची, रामगढ़, कोडरमा, बोकारो, धनबाद एवं सरायकेला जिले में स्थापित फिश फीड फैक्टरी के संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार व्यय किया जाना है।

3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो0 729.982 लाख (सात करोड़ उनतीस लाख अन्ठानवे हजार दो सौ) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :– **(राशि लाख रू0 में)**

क0	माँग संख्या–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, मद एवं विपत्र कोड	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन–उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–17–कार्यालय उपकरण **53 S 24050010156010317**	20.00	20.00	0.00
2	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन–उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53 S 24050010156010323**	270.00	269.997	0.003
3	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन–उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–37–विद्युत व्यय **53 S 24050010156010337**	25.00	25.00	0.00
4	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन–उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53 S 24050010156010544**	25.00	0.00	25.00
5	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन–उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज–विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय **53 S 24050010156010759**	6.00	6.00	0.00
	उप योग :	**346.00**	**320.997**	**25.003**

राजीव

Scanned by CamScanner

क0	माँग संख्या–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, मद एवं विपत्र कोड	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
6	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53 S 24050078956010323**	60.00	59.994	0.006
	उप योग :	**60.00**	**59.994**	**0.006**
7	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–17–कार्यालय उपकरण **53 S 24050079656010317**	10.00	10.00	0.00
8	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53 S 24050079656010323**	313.00	312.991	0.009
9	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–37–विद्युत व्यय **53 S 24050079656010337**	20.00	20.00	0.00
10	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53 S 24050079656010544**	25.00	0.00	25.00
11	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज–विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय **53 S 24050079656010759**	6.00	6.00	0.00
	उप योग :	**374.00**	**348.991**	**25.009**
	कुल योग :	**780.00**	**729.982**	**50.018**

(सात करोड़ उनतीस लाख अन्ठानवे हजार दो सौ) रु0 मात्र।

4. वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस योजना अंतर्गत जिलावार तथा लघु शीर्षवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य परिशिष्ट–I के रुप में संलग्न है।

5. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, (सभी) तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी) होंगे जो दिये गये वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्ध आवंटन के अंतर्गत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे।

6. योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो विभागीय सचिव के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

7. कंडिका '3' के तालिका के कमांक – 1 एवं 7 में कार्यालय उपकरण मद में अंकित राशि जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची एवं धनबाद तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ, रामगढ़ एवं कोडरमा को उपलब्ध कराई जायेगी, जिनके द्वारा (जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची द्वारा प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची से प्राप्त माँग के आलोक में) फीड मिल के उपकरणों का कय GeM के माध्यम से किया जाएगा। GeM में उपलब्ध नहीं रहने पर वित्त विभाग द्वारा स्थापित विहित प्रकिया अनुसार किया जायेगा।

उपर्युक्त उल्लिखित तालिका के क्रमांक–5 एवं 11 में अंकित अन्य व्यय की राशि से विभिन्न जिलों में स्थापित फीड मिल के संचालन में आकस्मिकताओं के भुगतान (मात्र राँची जिला के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची द्वारा प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची से प्राप्त माँग के आलोक में) हेतु व्यय किया जायेगा। साथ ही इसी तालिका के क्रमांक–3 एवं 9 में अंकित विद्युत व्यय की राशि से राँची (जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची द्वारा प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची से प्राप्त माँग के आलोक में), रामगढ़, कोडरमा, बोकारो तथा धनबाद के फीड मिल के विद्युत विपत्रों का व्यय किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

8. विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री मद में स्वीकृत राशि से मत्स्य कृषकों/केज मत्स्य पालकों को मछली के उत्पादन हेतु 50 प्रतिशत् अथवा 22/– रू0 प्रति कि0ग्रा0 अधिकतम् अनुदान पर कम से कम 24 % प्रोटीन गुणवत्तायुक्त 2 mm से बड़े 4 mm तक का फिश फीड उपलब्ध कराया जाएगा।

विभाग द्वारा स्थापित फिश फीड मिल अथवा झास्कोफिश से उत्पादित फिश फीड अथवा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत सरकारी अनुदान से स्थापित फिश फीड मिल से उत्पादित फीड पर ही यह लाभ कृषकों को फीड के रुप में ही दिया जाएगा।

9. उपर्युक्त कंडिका 8 के अतिरिक्त विगत् वित्तीय वर्ष 2022–23 की भांति ही मत्स्य पालकों को 2 mm अथवा इससे छोटे साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड (खुले बाजार से) के क्रय पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 18/–रू0 प्रति किलोग्राम फीड की दर से ही अनुदान देय होगा।

एक लाभुक को अधिकतम कुल 700 किलोग्राम 2 mm अथवा इससे छोटे साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 18/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अधिकतम 12600/–(बारह हजार छः सौ) रू0 अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी।

10. कंडिका 8 एवं 9 के अतिरिक्त केज मत्स्य पालकों को दूसरे crop से मछली उत्पादन के लिए 2 mm से बड़े 4 mm तक के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड (खुले बाजार से) के क्रय पर 50 प्रतिशत् अथवा अधिकतम 18/–रू0 प्रति किलोग्राम फीड की दर से अनुदान देय होगा। एक लाभुक को अधिकतम कुल 1200 किलोग्राम 2 mm से बड़े 4 mm तक के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 18/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अधिकतम 21600/–(इक्कीस हजार छः सौ) रू0 अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी। इसके अतिरिक्त रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक टैंक तथा बायोफ्लॉक तालाब के लिए भी अनुदान पर फीड उपलब्ध कराया जाएगा जो निम्न प्रकार है –

(क) <u>रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम</u> **(RAS)** – रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में दूसरे crop से मछली उत्पादन के लिए एक लाभुक को 90 m^3 के प्रति टैंक (अधिकतम 08 टैंक) के लिए अधिकतम 650 किलोग्राम प्रति टैंक की दर से 4 mm तक के साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 18/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी।

(ख) <u>बायोफ्लॉक टैंक</u> **(Biofloc Tank)** – इसी प्रकार बायोफ्लॉक टैंक में दूसरे crop से मछली उत्पादन के लिए एक लाभुक को 10 m^3 के प्रति टैंक (अधिकतम 50 टैंक) के लिए अधिकतम 100 किलोग्राम प्रति टैंक की दर से 4 mm तक के साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 18/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी।

(ग) <u>बायोफ्लॉक तालाब</u> **(Biofloc Pond)** – बायोफ्लॉक तालाब (0.1 Ha) में दूसरे crop के मछली उत्पादन के लिए एक लाभुक को अधिकतम 2000 किलोग्राम प्रति तालाब (0.1 Ha) की दर से 4 mm तक के साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 18/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी।

11. केज मत्स्य पालकों/रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम लाभुकों/बायोफ्लॉक टैंक लाभुकों/बायोफ्लॉक तालाब के लाभुकों को अनुदान पर फिश फीड उपलब्ध कराने हेतु उनके चयन में यह ध्यान रखा जाय कि लाभुक सक्रिय केज मत्स्य पालक/सक्रिय रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम संचालक/सक्रिय बायोफ्लॉक टैंक संचालक/सक्रिय बायोफ्लॉक तालाब संचालक हो तथा उसके द्वारा केज में/रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में/बायोफ्लॉक टैंक में/बायोफ्लॉक तालाबों में वर्तमान में मछली पालन किया जा रहा हो। उसके पास कम से कम पिछले एक crop का रिकॉर्ड हो। मात्स्यिकी गतिविधियों (मत्स्य बीज संचयन की विवरणी, संचित मत्स्य बीज की संख्या तथा उपलब्ध मछली, मछलियों के ग्रोथ, उत्तरजीविता तथा बिक्री की गई मछलियों का data) से नियमित रुप से जिला मत्स्य कार्यालय को अवगत कराने के लिए सहमत हो।

Scanned by CamScanner

12. जिला मत्स्य पदाधिकारी लाभुकवार मत्स्य बीज संचयन की विवरणी, संचित मत्स्य बीज की संख्या तथा उपलब्ध मछली (कि0 ग्रा0 अथवा टन में) की विवरणी प्राप्त करेंगे। मछलियों के ग्रोथ, उत्तरजीविता तथा उपलब्ध मछलियों (यदि संचित मछलियों में से बिकी की गई हो तो शेष उपलब्ध मछलियों) के अनुरुप ही चार किस्तों में लाभुक को अनुदान देय होगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा इस संबंध में लाभुकवार प्रतिवेदन निदेशालय को प्रेषित कर ही अनुदान का भुगतान किया जायेगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किस्तवार देय अनुदान उपलब्ध स्टॉक तथा इसके लिए आवश्यक समानुपातिक फीड के अनुरुप हो।

13. लाभुक द्वारा 2 mm अथवा इससे छोटे साईज/2 mm से बड़े 4 mm तक के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड (खुले बाजार से) का वास्तविक रूप में कय किया गया है एवं इसकी GST Billing हुई है, इसकी पूर्ण जिम्मेवारी सम्बंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी। GST Billing के बिना किसी भी लाभुक के खाते में राशि डी0बी0टी0 नहीं की जायेगी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित हो लेंगे कि लाभुक को देय अनुदान की राशि उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 50 प्रतिशत अथवा 18/—रू0 प्रति किलोग्राम अधिकतम अनुदान से ज्यादा नहीं हो। साथ ही समय—समय पर फोटोग्राफी की भी जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।

कंडिका '9' तथा '10' में अंकित अनुदान की विमुक्ति की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी इस तथ्य की सत्यता की जाँच कर लेंगे कि आवेदक द्वारा वास्तव में GST विपत्र के साथ फीड का कय किया है।

निदेशक मत्स्य जिलावार लक्ष्य के अनुरुप योजना के कार्यान्वियन के लिए विभागीय सचिव के अनुमोदनोपरान्त आवश्यकतानुसार दिशा निदेश निर्गत करेंगे।

14. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रकियाओं का अनुपालन कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि का व्यय स्वीकृत बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक—2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

16. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0 — सी0एस0 — 2/ आर0—01—2005—301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

17. यह पूर्णतः राज्य योजना है।

18. वित्तीय वर्ष 2022—23 में मुख्य शीर्ष—2405 एवं मुख्य शीर्ष—4405 मिलाकर कुल स्वीकृत बजट उपबंध मो0 850.00 लाख रु0 मात्र (संशोधित बजट उपबंध मो0 825.00 लाख रु0 मात्र) में मो0 555.68223 लाख रु0 मात्र का व्यय हुआ है।

19. वित्तीय वर्ष 2022—23 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरान्त ही निदेशक मत्स्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2023—24 में आवंटन निर्गत किया जायेगा।

20. जिला मत्स्य पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण न हो। विषयगत योजनान्तर्गत सामग्री इत्यादि के कय में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा स्थापित प्रकिया/नियमों/शर्त्तों का सुदृढ़तापूर्वक पालन करते हुए किया जाय।

21. वित्तीय वर्ष 2023—24 में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही व्यय किया जाय।

22. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

Scanned by CamScanner

23. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। स्वीकृत्यादेश प्रारुप में उल्लेखित प्रावधानों/शर्त्तों का अक्षरशः सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

24. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 07 रा0 (वि0) **/रॉची, दिनांक** 13/06/23
प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 07 रा0 (वि0) **/रॉची, दिनांक** 13/07/23
प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची तथा सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 07 रा0 (वि0) **/रॉची, दिनांक** 13/06/23
प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित योजना एवं विकास विभाग झारखण्ड, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट–1

वित्तीय वर्ष 2023–24 में फीड बेस्ड फिशरीज योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	जिला का नाम	2405–मछली पालन उप शीर्ष–56–फीड बेस्ड फिशरीज																				कुल भौतिक लक्ष्य (टन में)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
		101–अन्तर्देशीय मछली पालन									796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना									789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
		03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री						03–प्रशासनिक व्यय–17–कार्यालय उपकरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	03–प्रशासनिक व्यय–37–विद्युत व्यय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री						03–प्रशासनिक व्यय–17–कार्यालय उपकरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	03–प्रशासनिक व्यय–37–विद्युत व्यय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री			
		2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फीड का क्रय		झास्कोफिश/ विभागीय फिश फीड मिल/PMMSY अंतर्गत निर्मित फिश फीड मिल से फ्लोटिंग फीड का क्रय		2 mm से बड़े 4 mm तक के फ्लोटिंग फीड का क्रय					2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फीड का क्रय		झास्कोफिश/ विभागीय फिश फीड मिल/PMMSY अंतर्गत निर्मित फिश फीड मिल से फ्लोटिंग फीड का क्रय		2 mm से बड़े 4 mm तक के फ्लोटिंग फीड का क्रय					झास्कोफिश/ विभागीय फिश फीड मिल/PMMSY अंतर्गत निर्मित फिश फीड मिल से फ्लोटिंग फीड का क्रय			
		भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)				भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)				भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	राँची	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	50	9.000	10	2.200	70	12.600	5.000	20.000	3.000	5	1.100	135	52.900
2	खूंटी	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	30	5.400	30	6.600	40	7.200	0.000	0.000	0.000	5	1.100	105	20.300
3	गुमला	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	40	7.200	20	4.400	50	9.000	0.000	0.000	0.000	10	2.200	120	22.800
4	सिमडेगा	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	30	5.400	8	1.760	60	10.800	0.000	0.000	0.000	5	1.100	103	19.060
5	लोहरदगा	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	50	9.000	20	4.400	40	7.200	0.000	0.000	0.000	10	2.200	120	22.800
6	लातेहार	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	5	0.900	6.05	1.331	0	0.000	0.000	0.000	0.000	5	1.100	16.05	3.331
7	प0 सिंहभूम	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	45	8.100	40	8.800	90	16.200	0.000	0.000	0.000	5	1.100	180	34.200
8	पूर्वी सिंहभूम	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	20	3.600	20	4.400	0	0.000	0.000	0.000	0.000	5	1.100	45	9.100
9	सरायकेला	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	150	27.000	170	37.400	280	50.400	5.000	0.000	3.000	20	4.400	620	127.200
10	दुमका	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	50	9.000	50	11.000	100	18.000	0.000	0.000	0.000	10	2.200	210	40.200
11	जामताड़ा	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	15	2.700	10	2.200	10	1.800	0.000	0.000	0.000	5	1.100	40	7.800
12	साहेबगंज	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	10	1.800	10	2.200	0	0.000	0.000	0.000	0.000	5	1.100	25	5.100
13	पाकुड़	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	5	0.900	10	2.200	5	0.900	0.000	0.000	0.000	5	1.100	25	5.100
14	हजारीबाग	120	21.600	80	17.600	90.65	16.317	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	25	5.500	315.65	61.017
15	रामगढ़	55	9.900	40	8.800	40	7.200	10.000	5.000	1.500	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	20	4.400	155	46.800
16	कोडरमा	75	13.500	95	20.900	85	15.300	3.000	5.000	1.500	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	30	6.600	285	65.800
17	चतरा	20	3.600	5	1.100	20	3.600	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	5	1.100	50	9.400
18	बोकारो	90	16.200	98	21.560	70	12.600	4.000	7.000	1.500	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	27.70	6.094	285.70	68.954
19	गिरिडीह	30	5.400	20	4.400	30	5.400	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	10	2.200	90	17.400
20	धनबाद	40	7.200	40	8.800	40	7.200	3.000	8.000	1.500	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	20	4.400	140	40.100
21	गोड्डा	15	2.700	20	4.400	20	3.600	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	5	1.100	60	11.800
22	पलामू	14	2.520	20	4.400	20	3.600	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	20	4.400	74	14.920
23	गढ़वा	10	1.800	10	2.200	5	0.900	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	5	1.100	30	6.000
24	देवघर	55	9.900	10	2.200	20	3.600	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	10	2.200	95	17.900
योग		524	94.320	438	96.360	440.65	79.317	20.000	25.000	6.000	500	90.000	404	88.891	745	134.100	10.000	20.000	6.000	272.70	59.994	3324.40	729.982

(सात करोड़ उनतीस लाख अनठानवे हजार दो सौ रू0 मात्र)

(कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाए।)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

Scanned by CamScanner